

न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड जिला बड़वानी

(समक्ष- 'श्रीमती वंदना राज पाण्डेय')

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 286 / 2016

संस्थित दिनांक 13.05.2016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र,
ठीकरी, जिला बड़वानी

—अभियोगी

वि रू द्ध

1. महेश पिता चन्दरसिंह उर्फ चन्दु मानकर,
उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम चितावल,
थाना ठीकरी, जिला बड़वानी
2. कालु पिता तुकाराम हरी.
उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम चितावल,
थाना ठीकरी, जिला बड़वानी

—अभियुक्तगण

अभियोजन द्वारा एडीपीओ — श्री अकरम मंसूरी
अभियुक्त महेश द्वारा अधिवक्ता — श्री संजय गुप्ता
अभियुक्त कालु द्वारा अधिवक्ता — श्री विशाल कर्मा

—: नि र्ण य :-

(आज दिनांक 28-12-2016 को घोषित)

1— अभियुक्त महेश के विरुद्ध पुलिस थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 152/2016 के आधार पर दिनांक 26.04.2016 को रात्रि 08:00 बजे फरियादी का बाड़ा ग्राम चितावल में फरियादी सुभाष राठौड़ के आधिपत्य से एक ट्यूबवेल का लोहे का पाईप लम्बाई 20 फीट, चौड़ाई 2 इंच, एक सिरे पर मुंह पर 4 इंच का साकेट लगा, जिसकी कीमत लगभग रुपये 2,500/-को उसकी अनुमति के बिना बेईमानीपूर्वक सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से हटाकर चोरी करने के कारण भादवि की धारा 379 का तथा आरोपी कालु के विरुद्ध उक्त चोरी की सम्पत्ति को बेईमानी पूर्वक आशय से प्राप्त करने के लिये भा.द.वि. की धारा 411 का आरोप विचारणीय है।

2— प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और अभियोजन साक्षी अभियुक्तगण को जानते हैं।

3— अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 01.05.2016 को सुभाष राठौड़ ने थाना ठीकरी पर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 26.04.2016 को वह अपने परिवार सहित शादी के कार्यक्रम में बाहर गांव गया था, कल दिनांक 30.06.2016 को गांव में वापस आने पर उसने अपने बाड़े में जाकर देखा तो उसका ट्यूबवेल का लोहे का एक पाईप लम्बाई 20 फीट, चौड़ाई 2 इंच का नहीं मिला उसने आसपास

तलाश किया तो सुरजबाई पति नारायण ने बताया कि दिनांक 26.04.2016 की रात्रि 08:00 बजे उसका लोहे का पाईप महेश चन्दरसिंह मानकर चुराकर ले गया है, तब उसने भतीजे सुनिल पिता परसराम राठौड़ को घटना बताई एवं रिपोर्ट करने को आया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना ठीकरी में अपराध क्रमांक 152/2016 दर्ज किया जाकर विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया, आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया, आरोपी महेश की जानकारी के आधार पर मेमोरेण्डम बनाया गया, लोहे का पाईप जप्त कर, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, बाद सम्पूर्ण विवेचना यह अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4— उपरोक्त अनुसार मेरे द्वारा अभियुक्त महेश पर भादवि की धारा 379 के अंतर्गत तथा आरोपी कालु पर भा.द.वि. की धारा 411 आरोप विरचित करने पर अभियुक्तों ने अपराध से इन्कार किया तथा विचारण चाहा। द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपीगण का कथन है कि वे निर्दोष है और उन्हें झूठा फंसाया गया है तथा बचाव में साक्ष्य नहीं देना प्रकट किया।

5— प्रकरण के युक्तियुक्त निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
अ	क्या दिनांक 26.04.2016 को रात्रि 08:00 बजे फरियादी का बाड़ा ग्राम चितावल में फरियादी सुभाष राठौड़ के आधिपत्य से एक ट्यूबवेल का लोहे का पाईप लम्बाई 20 फीट, चौड़ाई 2 इंच, एक सिरे पर मुंह पर 4 इंच का साकेट लगा, जिसकी कीमत लगभग रुपये 2,500/-को उसकी अनुमति के बिना बेईमानीपूर्वक सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से हटाकर चोरी की ?
ब	क्या आरोपी कालु ने उक्त चोरी की सम्पत्ति लोहे का पाईप यह जानते हुए कि वह चोरी की सम्पत्ति है, बेईमानीपूर्वक आशय से प्राप्त किया?

- विचारणीय प्रश्न क्रमांक-‘अ’ व ‘ब’ पर सकारण निष्कर्ष -

6— उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में सुभाष (अ.सा.1) का कथन है कि घटना लगभग 7-8 माह पूर्व रात्रि लगभग 7-8 बजे की है, उसके मकान के पास उसका पशुओं को बांधने का बाड़ा है जहां वह अपना सामान भी रखता है। उसने अपने बाड़ा/गोदाम में 20 फीट लम्बा लोहे का ट्यूबवेल का पाईप रखा था। सुबह उसकी पत्नी सुशीलाबाई भैंस का दूध निकालने गई तब वहां उसे उक्त पाईप नहीं दिखाई दिया, तब उसकी पत्नी ने उसे बताया तथा यह भी बताया कि सुरजबाई ने बताया कि पड़ोसी महेश पाईप उठाकर ले गया है। वह आरोपी को लेकर थाने पर गया और उसने प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट थाने पर की जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने पुलिस को प्रदर्श पी 2 का घटना स्थल बताया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके सामने थाने पर

आरोपी महेश से पूछताछ की थी तो महेश ने पाईप 300 रुपये में आरोपी कालु को बेचना बताया था, जिसका मेमोरेण्डम प्रदर्श पी 3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तब ग्राम चितावल का पुलिस चौकीदार तथा वह और सुनिल ने आरोपी कालु के यहां पहुंचकर पूछताछ की तथा प्रदर्श पी 4 का मेमोरेण्डम तैयार किया जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी कालु के यहां उसका चोरी का पाईप पुलिस ने प्रदर्श पी 5 के अनुसार जप्त किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

7— बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि पुलिस ने थाने पर उसके 8-10 कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे और थाने के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर हस्ताक्षर नहीं कराये थे। साक्षी ने स्वीकार किया है कि सुरजबाई ने उसे कोई घटना नहीं बताई थी। लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि सुरजबाई ने उसकी पत्नी को कोई घटना नहीं बताई थी। साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि उसकी अभियुक्तों से जमती नहीं है इस कारण उसने अभियुक्तों के विरुद्ध असत्य रिपोर्ट लिखाई है।

8— सुरजबाई (अ.सा.4) का कथन है कि घटना लगभग 4-5 माह पूर्व की है। आरोपी महेश लोहे का पाईप लेकर गली में से निकला, उस समय वह भोजन कर रही थी। आरोपी महेश ने पाईप आरोपी कालु के यहां रखा था। सुभाष की पत्नी सुशीलाबाई ने पाईप के संबंध में खोजबीन की तब उसने बताया कि उसका पाईप महेश उठाकर ले गया है। बचाव पक्ष की ओर से इस साक्षी को यह सुझाव नहीं दिया गया है कि आरोपी महेश ने कालु के यहां पर पाईप नहीं रखा था अथवा उसने महेश को फरियादी का पाईप ले जाते हुए नहीं देखा था।

9— संजीय पाटील (अ.सा.5) का कथन है कि दिनांक 01.05.16 को फरियादी सुभाष ने थाना ठीकरी में आरोपी महेश के विरुद्ध उसका लोहे का पाईप चुराकर ले जाने के संबंध में प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 का बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपी महेश से पूछताछ की थी तो उसने पाईप कालु पिता तुकाराम को बेचना बताया था जिसका मेमोरेण्डम प्रदर्श पी 3 का उसने बनाया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपी कालु से पूछताछ की थी तो उसने लोहे का पाईप महेश से खरीदना बताया था जिसका मेमोरेण्डम प्रदर्श पी 4 बनाया था। उसने आरोपी कालु के द्वारा उसके घर के अंदर खटीया के आड़ से निकालकर चोरी गया लोहे का पाईप जिसकी लम्बाई 20 फीट चौड़ाई लगभग 2 इंच प्रदर्श पी 5 के अनुसार जप्त किया था। साक्षी ने प्रदर्श पी 3 से 5 के सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि उसने जप्त लोहे के पाईप की पहचान मदन सरपंच से कराई थी और फरियादी और साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि फरियादी ने पाईप खरीदने का बिल या अन्य कोई दस्तावेज नहीं दिया था और जप्त पाईप जैसे पाईप बाजार में और किसानों के घर पर मिलते हैं, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि फरियादी ने झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है अथवा उसने असत्य विवेचना की है। साक्षी ने स्वीकार किया

है कि सुरजबाई फरियादी सुभाष के बाड़े के पास निवास करती है और फरियादी सुभाष और साक्षी सुनिल एक ही जाति-समाज के हैं।

10— सुनिल राठौड़ (अ.सा.2) का कथन है कि फरियादी सुभाष राठौड़ के बाड़े से ट्यूबवेल का लोहे का 20 फीट का पाईप चोरी हो गया था जिसकी रिपोर्ट थाना ठीकरी पर फरियादी ने दो दिन बाद की थी तथा घटना के 3-4 दिन बाद पाईप मिल गया था। उक्त पाईप आरोपी कालु पिता तुकाराम के घर मिला था। पुलिस वाले उसे घटना स्थल पर छोड़कर कालु के घर गये थे जहां पाईप मिला था। पुलिस ने उक्त पाईप आरोपी से जप्त किया था। साक्षी ने पंचनामा प्रदर्श पी 3 से 7 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। न्यायालय द्वारा सुचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके सामने महेश और कालु से पूछताछ की थी और महेश ने ग्राम चितावल में अपने घर पर बताया था कि लोहे का पाईप लम्बाई 20 फीट गांव के कालु को बेच दिया है तथा बरामद करने की बात भी बताई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी कालु से आरोपी महेश द्वारा बताया गया लोहे का पाईप उसके सामने जप्त किया था। बचाव पक्ष की आरे से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि पुलिस उसे घटना स्थल पर छोड़कर चली गई थी और पाईप लेकर वापस आई थी। साक्षी ने स्वीकार किया है कि गांव में लगभग 70 प्रतिशत लोगों के पास ट्यूबवेल है और ट्यूबवेल के पाईप नये और पुराने रखते हैं। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसकी अभियुक्तगण से रंजिश है इस कारण वह असत्य कथन कर रहा है।

11— बादल (अ.स.3) का कथन है कि चार माह पूर्व उसने ग्राम पंचायत चितावल में सुभाष राठौड़ से एक लोहे का पाईप जिसकी लम्बाई 20 फीट की पहचान कराई थी तथा सुभाष को वहां रखे 5 पाईप में से अपने 2 फीट के पाईप को सही पहचाना था। साक्षी ने पहचान पंचनामा प्रदर्श पी 11 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर भी स्वीकार किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने अलग-अलग आकार के पाईप रखे थे लेकिन इस सुझाव से इंकार किया है कि उक्त पंचनामा उसने थाने पर बैठकर बनाया था।

12— आरोपीगण के विद्वान अधिवक्तागण का तर्क है कि जप्ती पंचनामों के साक्षीगण फरियादी से हितबद्ध हैं इस कारण अभियुक्तगणों के विरुद्ध असत्य कथन कर रहे हैं तथा फरियादी और साक्षियों ने स्वीकार किया है कि चोरी की सम्पत्ति जैसे ट्यूबवेल के पाईप बाजार में और किसानों के घर मिलते हैं। ऐसी स्थिति में अभियुक्तों के विरुद्ध उक्त कोई भी अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

13— यह सही है कि प्रकरण के साक्षी सुनिल राठौड़ (अ.सा.2) फरियादी का रिश्तेदार है, लेकिन आरोपी महेश फरियादी के बाड़े से लोहे का पाईप लेकर जाते हुए सुरजबाई (अ.सा.4) ने देखा तथा महेश की सूचना के आधार पर उक्त चोरी की सम्पत्ति लोहे का पाईप आरोपी कालु के घर से पुलिस ने जप्त किया तथा मदन (अ.सा.3) द्वारा पहचान कराये जाने पर सुभाष (अ.सा.1) ने अपनी चोरी की सम्पत्ति लोहे के पाईप की पहचान की है।

14— संजीव पाटील (अ.सा.5) ने इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज

की तथा आरोपी महेश की सूचना के आधार पर आरोपी कालु के निवास स्थान से उक्त चोरी की सम्पत्ति फरियादी और साक्षियों के समक्ष जप्त की गई है जिसका कोई भी खण्डन बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है। संजीव पाटील (अ.सा.5) ने एक लोक सेवक के नाते कार्य करते हुए आरोपी महेश की सूचना के आधार पर आरोपी कालु से फरियादी की चोरी की सम्पत्ति लोहे का पाईप जप्त किया है, उसकी फरियादी पक्ष से कोई हितबद्धता या आरोपीगण से कोई रंजिश होना बचाव पक्ष ने प्रमाणित नहीं की है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अनुसार यह उपधारणा की जा सकती है कि संजीव पाटील द्वारा उक्त विवेचना अपने पदीय कर्तव्य के पालन में उचित रूप से की गई है।

15— उक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन यह प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है कि आरोपी महेश ने दिनांक 26.04.2016 को रात्रि लगभग 7—8 बजे फरियादी सुभाष के आधिपत्य से ट्यूबवेल का लोहे का पाईप लम्बाई 20 फीट उसकी अनुमति के बिना बेईमानी से चोरी की जो भा.द.वि. की धारा 379 का अपराध है तथा आरोपी कालु ने उक्त चोरी की सम्पत्ति आरोपी महेश से यह जानते हुए कि वह चोरी की सम्पत्ति है बेईमानीपूर्वक आशय से प्राप्त की, जो भा.द.वि. की धारा 411 का अपराध है। अतः यह न्यायालय आरोपी महेश को भा.द.वि. की धारा 379 और आरोपी कालु को भा.द.वि. की धारा 411 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करता है।

16— प्रकरण की परिस्थितियों और अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण को परीविक्षा पर रिहा करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः सजा के प्रश्न पर सुनने के लिये निर्णय लेखन स्थगित किया जाता है।

—सही—

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला बड़वानी, म.प्र.

पुनश्च:

17— सजा के प्रश्न पर आरोपीगण और उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया उनका निवेदन है कि आरोपीगण गरीब, ग्रामीण और अशिक्षित हैं तथा विचारण का शीघ्रता से सामना किया है। अतः सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाये।

18— यह सही है कि अभियुक्तगण गरीब, ग्रामीण और अशिक्षित हैं तथा शीघ्रता से विचारण का सामना किया हैं, लेकिन समाज में बढ़ रहे चोरी के अपराधों को देखते हुए अभियुक्तगण सहानुभूति के पात्र प्रतीत नहीं होते हैं। अतः अपराध की प्रकृति व गम्भीरता को देखते हुए यह न्यायालय महेश पिता चन्द्रसिंह उर्फ चन्दु मानकर, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम चितावल, थाना ठीकरी, जिला बड़वानी, को भा.द.वि. की धारा 379 के आरोप में दोषसिद्ध ठहराते हुए 6 माह के सश्रम कारावास से दण्डित करता है। कालु पिता तुकाराम हरी, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम चितावल,

थाना ठीकरी, जिला बड़वानी, को भा.द.वि. की धारा 411 के आरोप में दोषसिद्ध ठहराते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास एवं रुपये 1,000/— अर्थदण्ड से दण्डित करता है, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त कालु को 15 दिवस का अतिरिक्त सादा कारावास भुगताया जावे।

19— अभियुक्त कालु के जमानत—मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

20— आरोपी महेश द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि कारावास की सजा में समायोजित की जावे, उक्त अनुसार दंप्रसं. की धारा 428 के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

21. निर्णय की प्रति आरोपी महेश को निशुल्क दी जावे।

22— प्रकरण में जप्तशुदा ट्यूबवेल का लोहे का पाईप पूर्व से फरियादी की सुपुर्दगी पर है। उक्त सुपुर्दनामा, बाद अपील अवधि, अपील न होने पर नियमानुसार उसी के पक्ष में स्वतः निरस्त समझा जावे, अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

—सही—

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला बड़वानी, म.प्र.

—सही—

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी, म.प्र.